संख्या : 390ए / 9-7-45 एन.आर.वाई. / 96

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा, आजमगढ़, बलिया, गोण्डा, बाँदा, बाराबंकी, मेरठ, बस्ती, प्रतापगढ़, भदोही, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवरिया, एटा, उन्नाव, गाजीपुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, फर्रूखाबाद, नैनीताल, बुलन्दशहर, लखीमपुर, खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, वाराणसी, जालौन, गाजियाबाद, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, बदायूँ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद।

लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 96

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
(नेहरू रोजगार योजना कोष्ठक)

विषय : **प्रधानमंत्री के एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रार्थना पत्रों का बैंको द्वारा शीघ्र निस्तारण।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों को जारी किये गये निर्देशों की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया इस महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के ऋण प्रार्थना पत्रों का बैंकों द्वारा निस्तारण कार्य में तेजी करने का प्रयास किया जाय।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव।

संख्याः **390ए / (1) / 9-7-45** एन.आर.वाई. / **96**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सूडा, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त सम्बन्धित परियोजना निदेशक।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशा.) एवं पदेन अपर निदेशक, सूडा।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार)
सचिव

संख्याः 390ए/9-7-45 एन.आर.वाई./96

भारतीय रिजर्व बैंक
ग्रामीण आयोजना अभिकरण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय भवन 13वीं मंजिल
पोस्ट बाक्स नं.-10014
मुम्बई-400001

ग्रा.आ.वि.सं. वी.सी. 92/09-14-01/95
14 फरवरी,1996
25 मार्च, 1917 (शक)
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी)

प्रिय महोदय,

कृपया आप दिनांक 16 फरवरी 1996 के हमारे परिपत्र ग्राआ ऋवि.बीसी. 79/09.14.01/95-96 के पैराग्राफ 4 को देखें, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदकों का निपटान तत्परता पूर्वक किया जाए। सरकार यह चाहती है कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को विशेष आधार का दर्जा दिया जाए और राशि पर विचार न करते हुए सभी आवेदकों को 15 दिनों की अवधि के भीतर निपटा दिया जाए। तद्नुसार, बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर निपटाया जाए, बशर्ते आवेदन हर तरह से परिपूर्ण हो और उधारकर्ता द्वारा सभी अपेक्षित जानकारी/डाटा प्रस्तुत किया गया हो।

2. आप कृपया इस संबंध में अपनी शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेय तत्काल जारी करें। शाखाओं को भेजे गये अनुदेश की एक प्रति हमे भेजी जाये। इस बीच, कृपया प्राप्ति स्वीकृति भेजें।

भवदीय,

ह.........................

(मु. कृ. वर्तक)
महाप्रबन्धक।